न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. सन् 2006

1 - चुन्टा तनय पुन्ना कुम्हार नि0 ग्राम-भियांताल

2 - मुकरता तनय पुन्ना लाल नि0 ग्राम-भियांताल

तहसील राजनगर, जिला छतरपुर {म0प्र0} ------- आवेदकगण,

बनाम

1 - तिजवा तनय पुन्ना कुम्हार नि0ग्राम भियांताल
तह0राजनगर, जिला छतरपुर म.प्र.

2 - म0 प्र0 शासन -------- अनावेदकगण,

पुर्न अवलोकन आवेदन पत्र म0प्र0भू राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा /51 के अन्तर्गत

माननीय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-ए47/111/04 आदेश दिनांक 04/04/05 पर पुर्नर विचारोपरान्त गुण-दोषों पर मूल प्रकरण को सुने जाने हेतु ।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण निम्नलिखित विनय करते है:-

1. यह कि उत्तरवादीगण ने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 113/32, म0प्र0भू0रा0सं0 लेखा सम्बन्धी गलतियों के शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पत्र माननीय एस.डी.ओ. महोदय, ने निरस्त कर दिया जिससे दुखी होकर उत्तरवादीगण ने अपील कलेक्टर महोदय को की थी । कलेक्टर महोदय छतरपुर म.प्र. द्वारा अपील स्वीकार कर ली गयी और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 10/12/96 निरस्त कर दिया गया । यानी दिनांक 20/01/1999 को कलेक्टर छतरपुर ने उत्तरवादीगण की अपील

क्रमशः 2 पर शेष....

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2320-II/06 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-1-06	यह प्रकरण लगभग 10 वर्ष पुराना है तथा पेशी दि. 5-1-16 को आवेदक अधिवक्ता ने अभिलेख के आधार पर निर्णय किए जाने का निवेदन किया। वर्तमान आवेदन रा.मं. के मूल प्र.क्र. ए471/111/04 में पारित आदेश दि. 4-4-05 द्वारा, दो अपीलों के बाद तीसरी अपील रा.मं. में प्रस्तुत हुई होने के कारण उस प्रकरण में प्रस्तुत अपील आवेदन खारिज कर दिए जाने से, उस अपील को (i) निगरानी मानकर गुणदोष पर निराकृत करने से संबंधित है। मैंने वर्तमान प्रकरण के अभिलेख का, तथा पुराने प्रकरण के उपलब्ध अभिलेख का भी, गुणदोष को प्रथमदृष्टया समझने के लिए अध्ययन किया। प्रकरण की वाद वस्तु का संक्षेप इस प्रकार है। आवेदक चुन्टा एवं सुकरता रा.मं. के पूर्व प्र.क्र. ए471/111/04 में अपर आयुक्त सागर के प्र.क्र. 298/बी 121/98-99 में पारित आदेश दि. 24-9-03 के विरुद्ध आए थे। अनावेदक तिजवा एवं म.प्र. शासन थे। चुन्टा, सुकरता एवं तिजवा सगे भाई हैं। आक्षेपित आदेश एवं मेमो में लिखे अनुसार ग्राम केहरखेड़ा की भूमि ख.नं. 115/3ख रकबा 2 हे. का पट्टा अनावेदक तिजवा को आदेश दि. 16.1.86 से मिला था। जब उसे पटवारी एवं आवेदकगण से इन्तखाब करने पर यह जानकारी हुई कि उक्त भूमि की खतौनी B-1 में तो केवल उसका नाम है, किन्तु खसरा पंचसाला में आवेदकगण का नाम दर्ज है, तो तिजवा ने SDO के समक्ष धारा 113 एवं 32 में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन किया, जिसे SDO ने आदेश दि. 10-12-96 से निरस्त कर दिया। इसके विरुद्ध तिजवा ने कलेक्टर	(i) इसी नम्बर पर लेते हुए

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के समक्ष अपील की । कलेक्टर-छतरपुर ने आदेश दि. 20-1-99 से अपील स्वीकार कर विषयांकित खाते से दोनों आवेदक चुन्टा एवं सुकरता के नाम हटाए जाने का आदेश किया । इसके विरुद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष चुन्टा एवं सुकरता ने द्वितीय अपील की, जिसे इन्होंने आक्षेपित आदेश से खारिज कर दिया । इसके विरुद्ध आवेदकगण रा. मं. में आए ।	
	अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश में उनके समक्ष प्रस्तुत तर्कों का विवरण लिखा है तथा अपने निष्कर्ष के आधार को भी लिखा है । आवेदकगण ने उनके समक्ष तर्क किया था कि धारा 113 के अन्तर्गत वे ही त्रुटियाँ [illegible] ठीक की जा सकती हैं जिन्हें संबंधित पक्षकार त्रुटि होना स्वीकार करें । उनका तर्क था कि खसरा पंचसाला में उनका नाम होना त्रुटि नहीं थी, बल्कि नामान्तरण का परिणाम था, तथा तीनों भाइयों ने वाद भूमि पर सहमति से आपसी विभाजन किया था, जिसके अनुसार नामान्तरण हुआ था ।	
	अनावेदक का अपर आयुक्त के समक्ष तर्क था कि नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के आदेश पंजी क्र. 5 के नामांतरण दि. 24-2-93 से त्रिजवा के खाते में चुन्टा और सुकरता के नाम जोड़ने का आदेश होने की बात कही जा रही है, ग्राम बेहरखेड़ा की नामान्तरण पंजी में उससे संबंधित नामान्तरण कहीं भी दर्ज नहीं है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार के प्रमाणपत्र दि. 19-8-96 से होती है । अतः आवेदकगण के नाम गलत तरीके से अनावेदक के खाते में जोड़े गए । उन्होंने यह भी तर्क किया था कि वाद भूमि का कथित विभाजन कभी नहीं हुआ था । इन आधारों पर इन्होंने अपील निरस्त करने का अपर आयुक्त से निवेदन किया था ।	
	अपर आयुक्त ने अपनी विवेचना में अनावेदक द्वारा तर्क में उठाए गए बिन्दुओं को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही पाया है । इस प्रकार विवेचना कर एवं कारणों का आधार लेते हुए अपर आयुक्त ने अपना	
[signature] 8.1.06		

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2320-II/06 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निर्णय दि. 24-9-03 पारित किया है।	
	उपरोक्त अध्ययन के आधार पर मैं स्वयं को अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश में लिखे निष्कर्षों से सहमत पाता हूँ।	
	यह निर्विवाद है कि मूल पट्टा वर्ष 1986 में तिजवा को मिला था। जिन आधारों पर आवेदकगण ने तिजवा के उक्त खाते में अपने नाम जुड़ जाने बताए हैं, वे अपुष्ट रहे हैं। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त दोनों के इनके संबंध में समवर्ती निष्कर्ष रहे हैं। ऐसे में आवेदकगण का यह तर्क कि धारा 113 MPLRC के अधीन उनके नामों की प्रविष्टि को त्रुटि मानते हुए सुधारा नहीं जा सकता था, मान्य किए जाने योग्य नहीं है। ऐसे में अपर आयुक्त के आक्षेपित में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।	
	उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं निम्न निर्णय पारित करता हूँ :	
	(1) रिव्यू प्र.क्र. 2320-II/06 में किए गए निवेदन अनुसार मैं पूर्व प्र.क्र. P471/III/04 में प्रस्तुत अपील आवेदन को निगरानी आवेदन के रूप में विचार किए जाने हेतु मान्य करता हूँ, तथा उस पर निरन्तरता में विचार करने का निर्णय लेता हूँ, तथा	
8.1.06		

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(2) निगरानी के रूप में प्र.क्र. ए 471/III/04 में दिए गए आवेदन एवं उसके संलग्न अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त, उनकी ऊपर की जा चुकी विवेचना के आधार पर, मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि. 24.9.03 को यथावत् रखते हुए, पूर्व प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन गुणदोष पर विचारोपरान्त खारिज करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 8.1.16 (सदस्य)	